सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 58 राँची, मंगलवार, 10 माघ, 1939 (श०)
30 जनवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 अक्टूबर, 2017

कृपया पढ़े:-

1. आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-06/गो०, दिनांक 15 जनवरी, 2016
2. समाहरणालय, गढ़वा का आदेश ज्ञापांक-07/गो०, दिनांक 5 जनवरी, 2016
3. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक-1176, दिनांक 13 जून, 2016
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9755, दिनांक 18 नवम्बर, 2016, संकल्प सं०-856, दिनांक 2 फरवरी, 2016 एवं संकल्प सं०-1899, दिनांक 3 मार्च, 2017

संख्या-5/आरोप-1-6/2016 का.- 10956-- श्री श्रीराम तिवारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-477/03, गृह जिला-भोजपुर) के उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पद पर कार्यावधि में आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-06/गो०, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की

लोक लेखा समिति के गढ़वा जिला परिभ्रमण के क्रम में समिति के प्रति समुचित सौजन्यता प्रकट नहीं किये जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

समाहरणालय, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक-07/गो०, दिनांक 5 जनवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के दिनांक 9 जनवरी, 2016 से 10 जनवरी, 2016 तक गढ़वा जिला के भ्रमण कार्यक्रम का सम्पूर्ण वरीय प्रभार उप विकास आयुक्त, गढ़वा को सौंपा गया था । साथ ही, उप विकास आयुक्त, गढ़वा को निदेश दिया गया था कि झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के माननीय सभापति सहित माननीय सदस्य के गढ़वा जिला आगमन एवं समिति द्वारा निर्धारित बैठक तथा स्थल निरीक्षण के समय समिति के निदेशानुसार संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रतिवेदन सहित उपस्थित रहने हेतु सूचित करेंगे । इसके अतिरिक्त इन्हें माननीय सभापति महोदय एवं सदस्यों के निदेशानुसार स्थल भ्रमण की व्यवस्था करने एवं आवश्यक सूचना/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया था ।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-06/गो०, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान परिसदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त थी, यथा दिनांक 9 जनवरी, 2016 की रात्रि में परिसदन के किसी भी नल में पानी नहीं आना, कम्बल की समुचित व्यवस्था नहीं होना, किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का परिसदन में उपस्थित नहीं होना । साथ ही, समिति के सदस्यों द्वारा उप विकास आयुक्त, गढ़वा को अनेक बार फोन लगाने के बावजूद उनके द्वारा फोन रिसिव नहीं किया गया ।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया है कि श्री श्रीराम तिवारी, उप विकास आयुक्त, गढ़वा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान व्याप्त अव्यवस्था के लिए दोषी हैं । इनके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही संबंधी आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-856, दिनांक 2 फरवरी, 2016 द्वारा निन्दन की सजा दी गई ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1176, दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ ।

विभागीय पत्रांक-9755, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 द्वारा इनके अपील अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय के पूर्व इनका पक्ष प्राप्त किया गया, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को समर्पित पत्र द्वारा अपना पक्ष रखा गया ।

इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन एवं इनके द्वारा रखे गये पक्ष पर समीक्षा किया गया । समीक्षा में पाया गया कि श्री तिवारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे पूरे कार्यक्रम

की व्यवस्था हेतु वरीय प्रभार में थे किन्तु इनके कनीय पदाधिकारी द्वारा घटना/अव्यवस्था को लेकर सूचित नहीं किया एवं वे स्वयं भ्रमित रहे और अच्छी व्यवस्था के प्रति आश्वस्त रहे । इनके द्वारा अव्यवस्था हेतु कनीय पदाधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । वरीय प्रभार में रहने के कारण इनकी जवाबदेही थी कि संबंधित कनीय पदाधिकारियों को सौंपे गये कार्य का क्रियान्वयन कराते । अतः समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1899, दिनांक 3 मार्च, 2017 द्वारा इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में वाद सं०- W.P.(S) No. 2127/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2017 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं०-856, दिनांक 2 फरवरी, 2016 एवं संकल्प सं०-1899, दिनांक 3 मार्च, 2017 को निरस्त कर दिया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-856, दिनांक 2 फरवरी, 2016 एवं संकल्प सं०-1899, दिनांक 3 मार्च, 2017 को निरस्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 58 -- 50